

कार्यालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कानपुर देहात।

आदेश

माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात महोदय से सम्यक विचारोपरान्त अवकाश के दिनों में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के सर्कुलर लेटर व विधिनुसार रिमाण्ड कार्य/अन्य कार्य सम्पादित करने के लिए निम्न मजिस्ट्रेट न्यायालय को अधिकृत किया जाता है-

न्यायालय का नाम

माह

श्री प्राज्ञ दत्त शुक्ला
सिविल जज (सी०डि०)/फास्ट ट्रैक कोर्ट
कानपुर-देहात


अक्टूबर -2023

श्रीमती अंवतिका प्रभाकर
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम
कानपुर-देहात

नवम्बर -2023

उपरोक्त समस्त न्यायालय उक्त माह में माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा अवकाशों के दिवसों में रिमाण्ड कार्य/अति आवश्यक कार्य करने हेतु दिये गये दिशा-निर्देशों, माननीय जनपद न्यायाधीश, कानपुर-देहात द्वारा जारी प्रशासनिक आदेशों व माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद/भारत सरकार/उत्तरप्रदेश सरकार एवं अन्य सम्बन्धितों द्वारा कोविड के सम्बन्ध में दिये गये समस्त दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।


दिनांक- 16.09.2023


(अलंकृता शक्ति त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कानपुर देहात।

प्रतिलिपि निम्न को प्रेषित की जाये-

1. माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय, कानपुर-देहात को सादर अवलोकनार्थ एवं उचित आदेशार्थ (यदि कोई हो) सादर प्रेषित।
2. नोडल आफिसर (नजारत)/(कम्प्यूटर) को सादर अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. सचिव, डी०एल०एस०ए०, कानपुर-देहात।
4. सम्बन्धित न्यायालय/आफिसर को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालन हेतु।
5. जिलाधिकारी, कानपुर-देहात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. पुलिस अधीक्षक, कानपुर-देहात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. संयुक्त निदेशक(अभियोजन), कानपुर-देहात को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. समस्त बार एसोसिएशन, कानपुर-देहात के अध्यक्ष/सचिव।
9. जेल अधीक्षक, कानपुर-देहात।

दिनांक- 16.09.2023


(अलंकृता शक्ति त्रिपाठी)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
कानपुर देहात।